॥ ओ३म् ॥

वेद प्रचार, विश्व शान्ति, राष्ट्रोत्थान एवं सम्पूर्ण क्रान्ति के लिये समर्पित पाक्षिक पत्र

आर्य नीति

कृण्वन्तो विश्वमार्यम

पाक्षिक

वर्ष : 19 अंक : 9 10 मई 2019 मूल्य एक प्रति : 3 रुपये डाक पंजियन संख्या : Jaipur City/264/2018-20 वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

2019 का लोकसभा चुनाव – लोकतंत्र मुस्कुराया नहीं, फूट-फूट कर रोया

–सत्यव्रत सामवेदी

जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप-विस्तार किया, डगमग-डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले- जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हां, हां दुर्योधन! बांध मुझे

–प्रियंका गांधी

जयपुर 8 मई 2019। देश में लोकसभा के लिये चुनाव का महासंग्राम चल रहा है। दक्षिण भारत अनेक क्षेत्रीय दलों में बंटा हुआ है और वहां नरेन्द्र मोदी की कोई लहर नहीं है। उत्तर भारत दो नारों से गूंज रहा है- मोदी की सरकार फिर एक बार। मोदी राष्ट्रवाद की लहर की पीठ पर सवार हैं और वे दावा कर रहे हैं कि भारतवर्ष को आतंकवादियों से मुक्ति मैं ही दिला सकता हूँ। मैंने बालाकोट पर हमला किया और आतंकवादियों के शिविर को ध्वस्त कर दिया और पुलवामा पर आतंकवादियों के नरसंहार का बदला ले लिया है। मोदी यह भी घोषणा कर रहे हैं कि काश्मीर से 370 धारा व 35ए हटाया जाएगा। एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते और न ही दो संविधान और दो झण्डे हो सकते हैं। नरेन्द्र मोदी की यह घोषणा मतदाताओं को प्रभावित कर रही है और इन घोषणाओं से मतदाताओं का प्रभावित होना स्वाभाविक है परंतु इन लुभावनी घोषणाओं के पीछे वे अपनी नाकामयाबी को छिपा भी रहे हैं। 2019 के चुनावों में मोदी ने राष्ट्रवाद की लहर चला दी है जो उत्तर भारत में जोर से चल रही है। लोकतंत्र में अपने प्रतिद्वंदी की आलोचना करना आवश्यक है परंतु आलोचना में मर्यादाओं का उल्लंघन अनैतिकता है। मोदी ने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नं. 1 कहकर अपने पक्ष के मतदाताओं को भी आहत किया है। राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने अत्यंत शालीनतापूर्वक मोदी को उत्तर दिया-

जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है,
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप-विस्तार किया,
डगमग-डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले-
जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हां, हां दुर्योधन! बांध मुझे

देश के अधिकांश मतदाताओं ने प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया का स्वागत किया है।

देश में चुनावी युद्ध मुख्य रूप से नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। देश की जनता दोनों नेताओं के भाषणों को बड़े ध्यान से सुन रही है। राहुल गांधी जब अपनी सभाओं में नारा लगाते हैं- 'देश का चौकीदार' तो जनता समवेत स्वर में नारा लगाती है- 'चोर है'। राहुल गांधी अपनी हर मीटिंग में कहते हैं कि राफेल सौदे में अंबानी को मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपया दिया है और देश की गरीब जनता के धन को बर्बाद किया है।

राहुल यह भी कहते हैं कि मोदी जी भारतवर्ष के

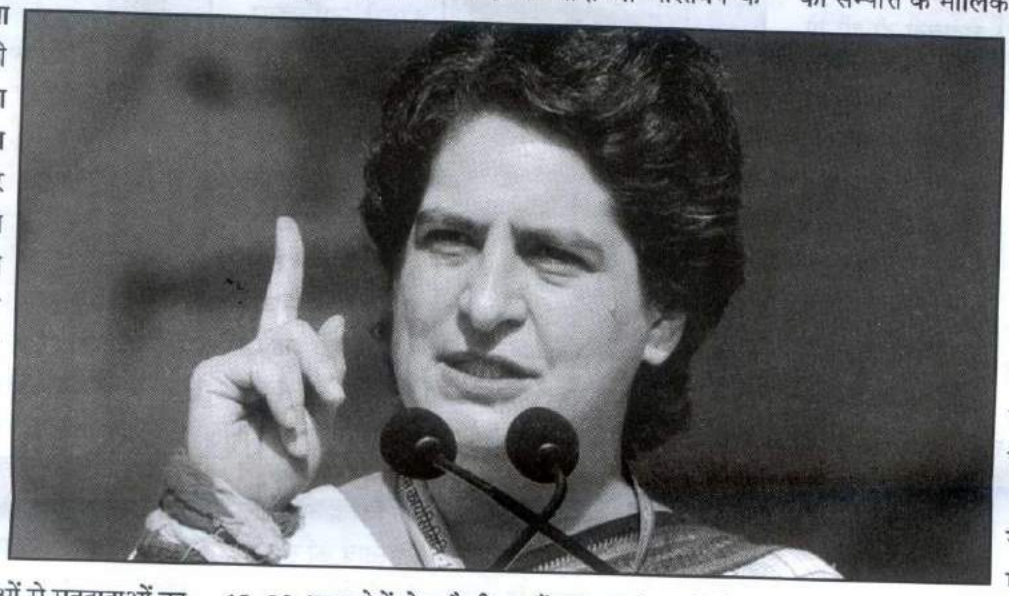

15-20 धनकुबेरों के चौकीदार हैं, जनता के नहीं है। जनता का पैसा वे 15-20 धनकुबेरों को दे रहे हैं। राहुल गांधी यह भी घोषणा कर रहे हैं कि भारतवर्ष के पांच करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों को प्रतिमास छह हजार रुपए और साल में 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा है और वास्तव में गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा कदम होगा परंतु जब मतदाता यह पूछते हैं कि यह रुपया कहां से आएगा तो वे कहते हैं कि अंबानी, नीरव मोदी, माल्या जैसे धनकुबेरों की जेबों से हम यह पैसा निकालेंगे और गरीबों में बांटेंगे। यह घोषणा कितनी कारगर होगी उसकी जानकारी 23 मई के बाद ही मिलेगी परंतु ऐसा लग रहा है कि जनता राष्ट्रवाद की लहर में बह रही है और गरीबी मिटाने का राहुल का फार्मूला उन्हें विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है परंतु इस चुनाव में यह तो स्पष्ट ही है कि राजनीति में पूंजीपतियों एवं अपराधियों का वर्चस्व है।

राजस्थान में ही करोड़पति एवं अपराधी उम्मीदवारों की सूची बहुत लम्बी है। 29 अप्रेल के अखबारों में करोड़पति एवं अपराधियों की सूची प्रकाशित हुई जिसमें निम्नलिखित उम्मीदवारों के पास सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है-

मध्यप्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी एवं कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ- 660 करोड़, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के संजय भोसले- 125 करोड़, झांसी में भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा- 124 करोड़। 33 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं। 4.53 करोड़ रुपए प्रत्याशियों की औसत सम्पत्ति है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के करोड़पति प्रत्याशी 88 प्रतिशत हैं। 13.63 करोड़ भाजपा प्रत्याशियों की औसत सम्पत्ति है। 29.3 करोड़ कांग्रेस प्रत्याशियों की औसत सम्पत्ति है। 21 प्रतिशत के पास दो करोड़ से ज्यादा सम्पत्ति है। दक्षिण भारत में अधिकांश प्रत्याशी करोड़पति हैं और कई तो अरबपति हैं।

राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो स्वतंत्रता के बाद किसी भी चुनाव में नहीं हुए। नरेन्द्र मोदी इस बात से बहुत आहत हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें गंदी नाली का कीड़ा, गंगू तेली, पागल कुत्ता, जवानों के खून का दलाल, जहर की खेती करने वाला, मौत का सौदागर, नीच किस्म का आदमी, चाय वाला, अस्वस्थ मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति, भस्मासुर, बंदर, वायरस, रेबीज से पीड़ित, बंदर-रावण, साँप-बिच्छु, दाऊद इब्राहिम, हिटलर, नालायक बेटा, चूहा, लहु पुरुष, असत्य का सौदागर, गंदा आदमी, जहर बोने वाला, तानाशाह, मोस्ट स्टुपिड पी.एम., नाकारा बेटा आदि खिताबों से नवाजा। पवनखेड़ा ने मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उपनाम मोदी का फुलफार्म मसूद, ओसामा, दाऊद और आईएसआई बताया था।

मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले कांग्रेस के नेताओं का कार्य निंदनीय है परंतु कांग्रेस में ऐसे विवेकशील, सभ्य और सुसंस्कृत तथा मर्यादा का पालन करने वाले मनमोहन सिंह जैसे नेता भी हैं जो मुद्दों की बात करते हैं।

आज मोदी जी आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे हैं और

(लगातार पृष्ठ 2 पर)

जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम फांसी के तख्ते से भी पुकारते रहेंगे – इंकलाब जिंदाबाद

–भगत सिंह

उनके भाषणों से ये संदेश जाता है कि कांग्रेस ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और मनमोहन सिंह मौनी बाबा बनकर बैठे रहे। मनमोहन सिंह ने बहुत ही शालीनता से उत्तर दिया कि मोदी जी मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। हमने कभी भी भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं किया। पुलवामा में हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए जबकि पुलवामा का राजमार्ग सर्वाधिक सुरक्षित था। यह खुफिया विभाग की और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी असफलता है। फौज को पता चल गया था कि यह राजमार्ग सुरक्षित नहीं है और सेना पर आतंकवादियों का हमला होगा। सेना के अधिकारियों ने मोदी जी से प्रार्थना की कि हमारे लिए हवाई जहाज की व्यवस्था की जाए परंतु मोदी जी ने मना कर दिया। इस प्रकार 40 जवानों की शहादत के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने भी सूचना दी थी कि यदि इस मार्ग से सेना को भेजा गया तो आतंकवादी विस्फोटक पदार्थों से सेना पर हमला करेंगे।

यही नहीं आतंकवादियों ने वीडियों से भी चेतावनी दी थी तो मोदी जी ने इस चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मोदी जी के पांच वर्ष के शासनकाल में आतंकवादियों ने भारतवर्ष के सैन्य ठिकानों पर अनेक हमले किए जिनमें पेमपोर्ट, ऊरी, पठानकोट, गुरदासपुर, संजवान सैन्य शिविर और यहां तक कि अमरनाथ के यात्रियों पर भी हमले हुए। मोदी जी ने मुफ्ती से समझौता करके सत्ता के लालच में काश्मीर में सरकार बना ली जो उनका राजनीतिक दिवालियापन था।

हमारे यूपीए के शासनकाल में सेनाओं को आतंकवादियों से निपटने के लिए खुली छूट दी गई थी और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। आजादी के 70 वर्ष के काल में आतंकवादियों के अनेक हमले हुए। हमने उनका मुंहतोड़ जवाब भी दिया परंतु हमने कभी इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया परंतु मोदी जी ने बालाकोट में हमला करके इसे चुनावी मुद्दा बनाया जो अत्यन्त लज्जाजनक है। ये मुद्दा इसलिए बनाया गया ताकि वे आर्थिक मोर्चे पर, रोजगार पर, किसानों की दुर्दशा पर और छोटे तथा मध्यम उद्यमियों पर जो नाकामयाबी मिली उसे छिपा सकें। इस चुनाव में भाजपा ने मनमोहन सिंह पर यह भी आरोप लगाया कि बम्बई में आतंकवादियों के हमले इनकी नरम नीति के कारण हुए और यह इनकी बहुत बड़ी असफलता है परंतु यह भी जनता को भ्रमित करने का घृणित कार्य है। इस हमले के 14 दिन के अंदर हमने चीन को मजबूर कर दिया कि वह हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करे। हमने बम्बई हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। हमने बम्बई हमले में सक्रिय भाग लेने वाले डेविड हेडले को 2013 में 35 वर्ष की जेल की सजा दी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुंबई के आतंकियों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया था। मुंबई के हमले के बाद हमने तटीय सुरक्षा पर ध्यान दिया ताकि समुद्र के मार्ग से हम पर हमला नहीं हो परंतु नरेन्द्र मोदी ने ही हमारी इस योजना का जबर्दस्त विरोध किया। आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रांत की एजेंसियों से तालमेल रखने का हमने प्रस्ताव दिया परंतु मोदी जी ने इसका भी विरोध किया।

मोदी जी कहते हैं कि हमारे परमाणु बम दीवाली पर पटाखे छोड़ने के लिए नहीं हैं। मतदाता इस बयान पर तालियां बजा रहे हैं परंतु मनमोहन सिंह ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारतवर्ष को हमने ही परमाणु शक्ति बनाया। शांति स्थापित करने के लिए पंडित नेहरू ने परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत बनाने की वकालत की। इंदिरा गांधी ने 1974 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया। इस प्रकार सैन्य एवं असैन्य क्षेत्र में

परमाणु शक्ति को विकसित करने का प्रयास चलता रहा। हमारी न्यूक्लियर शक्ति का उद्देश्य भारत के दुश्मनों से देश की रक्षा करना है। यह शांति के लिए था ताकि पाकिस्तान हमें परमाणु बम की धमकी नहीं देता रहे और इसका प्रयोग वाजपेयी जी की 13 महिने की सरकार ने किया था। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का जब हमने संकल्प लिया तो सारे देश में विरोधी दलों ने विद्रोह का वातावरण पैदा कर दिया। हमारे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नरेन्द्र मोदी और भाजपा के सांसद कर रहे थे।

मनमोहन सिंह जी का मानना है कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए मोदी जी राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं और आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह अत्यन्त हास्यास्पद है क्योंकि गत पांच वर्षों में जम्मू और काश्मीर में आतंकवादी हमले 176 प्रतिशत हुए। भारत सीमा पर पाकिस्तान का अतिक्रमण 1000 प्रतिशत बढ़ा है। हमारे सैन्य ठिकानों पर आतंकवादियों ने 17 हमले किए। गत 57 वर्षों में सेना पर जीडीपी का प्रतिशत सबसे कम है। मोदी जी ने दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था परंतु नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी ने चार करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। गत 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी बढ़ी जो 6.1 प्रतिशत है जबकि 2011-12 में यूपीए की सरकार में यह 2 प्रतिशत थी। अपनी इन कमियों को छिपाने के लिए अब मोदी जी शब्दाडंबर और लफ्फाजी का सहारा ले रहे हैं।

मोदी जी अपनी शोचनीय पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए मतदाताओं की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और कहते हैं, मैं चाय बेचने वाला था परंतु आपकी कृपा से प्रधानमंत्री पद पर पहुँचा हूं। कांग्रेस में तो ऐसे नेता हैं जो विदेशों में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं अन्य नामी संस्थाओं में पढ़े हुए हैं, इन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं है। मनमोहन सिंह बड़ी नम्रता से जवाब देते हैं कि मैं भी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरे घर में बिजली नहीं थी, मैं साईकिल पर बहुत दूर स्कूल में पढ़ने जाता था। ऐसी गरीब पृष्ठभूमि के कांग्रेस में बहुत नेता हुए। सावित्रीबाई फूले, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, होमी जहांगीर भाभा एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉ. हरगोविन्द खुराना, डॉ. के.आर. नारायणन, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आदि सैकड़ों नाम हैं परंतु किसी ने भी अपनी पिछड़ी पृष्ठभूमि के नाम पर सहानुभूति बटोरने का प्रयास नहीं किया।

कांग्रेस ने मोदी जी पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मोदी की तस्वीर वाले विज्ञापनों के लिए 6000 करोड़ रुपया खर्च किया लेकिन सेना के जवानों के लिए 1600 करोड़ रुपए नहीं दिए। सैनिकों को वर्दी, जूते बाजार से खरीदने पड़ते हैं।

क्या यह शहीदों के सपनों का भारत है?

आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में सारे देश में आर्य समाज के वीर सपूत छाए हुए थे। सारा भारतवर्ष उनके विचारों और वक्तव्यों को बहुत ध्यान से पढ़ता था और सोचता था कि आजादी के बाद दूध-दही की नदियां बहेंगी, किसान का साम्राज्य होगा, पूंजीवाद का नाश होगा और गरीबों का शासन होगा। सरफरोशी की तमन्ना के अमर गायक 30 वर्षिय पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी की कोठरी से देश के नाम संदेश दिया-

'यदि फ्रांस तथा अमरिकी की भांति क्रांति द्वारा राजतंत्र को पलट कर प्रजातंत्र स्थापित भी कर दिया जाये तो बड़े-बड़े धनी पुरुष अपने धन बल से सब प्रकार के अधिकारियों को दबा बैठते हैं। कार्यकारिणी समितियों में बड़े-बड़े अधिकार धनियों को प्राप्त हो जाते हैं। देश के शासन में धनियों का मत ही उच्च आदर पाता है। धन बल से देश के समाचार पत्रों, कल कारखानों तथा खानों पर उनका ही अधिकार हो जाता है। मजबूरन जनता की अधिक संख्या धनिकों का समर्थन करने को बाध्य हो जाती है। जो दिमाग वाले होते हैं, वे भी समय पाकर बुद्धिबल से जनता की खरी कमाई से प्राप्त किए अधिकारों को हड़प कर बैठते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर वे श्रमजीवियों तथा कृषकों को उन्नति का अवसर नहीं देते। अन्त में ये लोग भी धनिकों के पक्षपाती होकर राजतंत्र के स्थान में धनिकतंत्र की ही स्थापना करते हैं। रूसी क्रांति के पश्चात् यही हुआ था। रूस के क्रांतिकारी इस बात को पहले से ही जानते थे। अतएव उन्होंने राज्यसत्ता के विरुद्ध युद्ध करके राजतंत्र की समाप्ति की। इसके बाद जैसे ही धनी तथा बुद्धिजीवियों ने रोड़ा अटकाना चाहा

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार, मनीषि एवं प्रखर लेखक डॉ. वेदप्रताप वैदिक की धर्मपत्नी उपनिषदों की विदुषी स्व. डा. वेदवती वैदिक की स्मृति में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

उपनिषदों की विख्यात विदुषी प्रो. वेदवती वैदिक का दिनांक 4 अप्रेल को आकस्मिक निधन हो गया है। दिल्ली के लीवन इंस्टीट्यूट में उनका उपचार चल रहा था। वे प्रसिद्ध पत्रकार डॉ. वेदप्रताप वैदिक की धर्मपत्नी हैं। उनकी आयु 70 वर्ष थी। उनका अंतिम संस्कार उसी दिन दयानंद घाट, लोदी इस्टेट पर संपन्न हो गया।

1977 से वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी महाविद्यालय में अध्यापन तथा श्री अरविन्द महाविद्यालय (सांध्य) में संस्कृत विभागाध्यक्ष रही हैं। प्रो. वेदवतीजी ने 1986 से दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण-परिसर में एम.ए. और एम.फिल. कक्षाओं में प्राध्यापन एवं शोध निर्देशन किया है। वे 'इंडियन कौंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च' की सीनियर फेलो (1980-83) रही हैं। 2013 में वे सेवानिवृत्त हुई थीं। उन्होंने साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली के रामेश्वरदास गुप्ता धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी के तौर पर समाजसेवा के अनेक अभियान चलाए हैं।

उपनिषद-विद्या और वेदवती वैदिक एक-दूसरे के पर्याय बन गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत में बी.ए. (ऑनर्स) और एम.ए. करने के पश्चात उन्होंने 'श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्यों का एक अध्ययन' विषय पर 1977 में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उपनिषद् विद्या उन उनके ये ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं- 'श्वेताश्वर उपनिषद्: वाङ्मय: दार्शनिक अध्ययन', 'उपनिषदों के ऋषि', 'उपनिषद् वाङ्मय: विविध आयाम', 'उपनिषदों के निर्वचन' और 'उपनिषद्युगीन संस्कृति'। उन्होंने भगवद्गीता का हिन्द और अंग्रेजी अनुवाद किया है। इस ग्रंथ के अनेक संस्करण हो चुके हैं। उनका 1500 पृष्ठों का उपनिषद् महाकोश (एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उपनिषद्स) हिन्दी और अंग्रेजी में शीघ्र प्रकाश्य हैं।

इसेक अतिरिक्त देश और विदेश की प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओं, संपादित पुस्तकों और अभिनंदन ग्रंथों में वेद, उपनिषद्, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण पर उनके अनेक शोध-पत्र प्रकाशित हुए।

उन्होंने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, त्रिनिदाद, कजाकिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर, मोरिशस, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, लेबनान, ताइवान, नेपाल आदि देशों की यात्राएं भी की हैं। प्रो. वेदवती के देहावसान से संस्कृत एवं आर्य जगत की अपूर्णिय क्षति हुई है।

उनकी स्मृति में अध्यात्म साधना केन्द्र, छतरपुर, नई दिल्ली में 9 अप्रेल, 2019 को सांय 4 से 6 बजे तक स्मृति सभा का आयोजन किया गया। जिसमें देश के अनेक गणमान्य प्रतिष्ठित महानुभावों ने सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से देश के प्रतिष्ठित गांधीवादी विचारक श्री सुब्बाराव, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, एमिटी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृदुला चौहान, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के अध्यक्ष ठा. विक्रम सिंह एवं महामंत्री डॉ. आनन्द कुमार पूर्व आई.पी.एच., प्रकाशवीर शास्त्री स्मृति न्यास के अध्यक्ष श्री शरद त्यागी, स्वामी सम्पूर्णानन्द, श्री ओम सपरा, राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के केन्द्रीय प्रभारी श्री जयदीप आर्य, आचार्य विद्याप्रसाद मिश्र, कै. रूद्रसेन सिन्धु आदि महानुभाव उपस्थित थे। इस सभा के मंच का संचालन प्रसिद्ध वैदिक विदुषी डॉ. शशि प्रभा कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रो. वेदवती के पति एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार, मनीषी एवं लेखक डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद करते हुए प्रो. वेदवती जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अत्यन्त भावुकतापूर्ण शब्दों में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वेदवती से विवाह के माध्यम से जब मेरा संबंध हुआ तब से लेकर उनके अंतिम श्वांस तक मुझे कोई ऐसा क्षण याद नहीं आता जब मुझे उनके व्यवहार से किसी भी प्रकार की कोई असुविधा अनुभव हुई हो। वे एक अत्यंत समर्पित, सौम्य एवं सहयोगी धर्मपत्नी ही नहीं बल्कि अनेक अवसरों पर मेरी मार्गदर्शक बनकर भी रही। डॉ. वैदिक जी ने पधारे हुए समस्त महानुभावों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी धर्मपत्नी प्रो. वेदवती को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर योगगुरु स्वामी रामदेव जी महाराज ने दूरभाष के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ. वेद प्रताप वैदिक एवं सभी परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रो. वेदवती के व्यक्तित्व पर बड़े भावपूर्ण शब्दों में वक्तव्य दिया। स्वामी रामदेव जी के श्रद्धांजलि वक्तव्य को श्रोताओं ने लाउडस्पीकर के माध्यम से ध्यान से सुना।

श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनसमूह से प्रो. वेदवती जी की लोकप्रियता, व्यवहार कुशलता एवं समाज के प्रति उनके स्नेह का परिचय मिल रहा था। ऐसी विदुषी के देहावसान पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से सभा प्रधान स्वामी आर्यवेश जी ने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अनुभव किया कि प्रो. वेदवती जी का देहावसान सम्पूर्ण आर्य जगत् के लिए अत्यन्त कष्ट का विषय है।

जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है .....

(पृष्ठ 2 का शेष)

कि उसी समय उनसे युद्ध करके उन्होंने वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की।'

आर्य समाज के गौरवमय पुत्र 23 वर्ष 5 माह 26 दिन की आयु में फांसी पर चढ़ने वाले सरदार भगतसिंह की सेशन जज की अदालत में जो वक्तव्य दिया वह भारतवर्ष के मतदाताओं को 2019 के संदर्भ में पढ़ना चाहिए-

निम्न न्यायालयों में भगतसिंह से पूछा गया कि क्रांति से वे क्या समझते हैं? प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि- "क्रांति में घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान नहीं है, न उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की ही गुंजाईश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। उत्पादक अथाव श्रमिक समाज के अत्यन्त आवश्यक तत्व है तथापि शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक ओर सबके लिए अन्न उगाने वाले कृषक सपरिवार भूखों मर रहे हैं, सारी दुनिया के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते, भवन-निर्माण, लोहारी और बढ़ईगिरी के कामों में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण करके भी गंदी बस्तियों में रहते और मर जाते हैं, दूसरी ओर पूंजीपति, शोषक और समाज पर धुन की तरह जीने वाले लोग अपनी सनक पूरी करने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। यह भयंकर विषमताएं और विकास के अवसरों की कृत्रिम समानताएं समाज को अराजकता की ओर ले जा रही हैं। यह परिस्थिति सदा तक नहीं रह सकती तथा यह स्पष्ट है कि वर्तमान समाज-व्यवसीा एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई आनन्द मना रही है और शोषकों के अबोध बच्चों की भांति हम एक खतरनाक दरार के कगार पर खड़े हैं। यदि सभ्यता के ढांचे को समय रहते नहीं बचाया गया तो वह नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा, अत: क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है और जो लोग इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं, उनका यह कर्त्तव्य है कि वे समाज को समाजवादी आधारों पर पुनर्गठित करें। जब तक यह नही होगा और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का तथा एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण होता रहेगा, जिसे साम्राज्यवादी कहा जा सकता है तब तक उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ाओं और अपमानों से मानव-जाति को नहीं बचाया जा सकता एवं युद्ध मिटाने तथा सार्वभौमिक शांति के युग का सूत्रपात करने के बारे में की जाने वाली समस्त चर्चाएं कोरा पाखण्ड हैं। क्रांति से हमारा प्रयोजन अन्तत: एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसको इस प्रकार के घातक खतरे का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुता को मान्यता दी जाये। इसका परिणाम यह होगा कि विश्वसंघ मानव-जाति को पंजीवाद के बंधन तथा युद्ध से उत्पन्न होने वाली बरबादी और मुसीबतों से बचा सकेगा।

हमारा आदर्श यह है और इस आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करके हमने एक समुचित और काफी जोरदार चेतावनी दी है। यदि इसकी भी उपेक्षा कर दी जाती है तथा वर्तमान शासन-व्यवस्था नवोदित प्राकृतिक शक्तियों के मार्ग को अवरुद्ध करने का क्रम जारी रखती है तो एक भीषण संघर्ष उत्पन्न होना निश्चित है जिसके परिणामस्वरूप समस्त बाधक तत्वों को उठा कर फेंक दिया जायेगा तथा सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य होगा, जिससे क्रांति के लक्ष्य की उपलब्धि की जा सके। क्रांति मानव-जाति का जन्मजात अधिकार है। स्वतंत्रता सभी मनुष्यों का एक ऐसा जन्म-सिद्ध अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। श्रमिक वर्ग समाज का वास्तविक आधार है। लोकप्रभुता की स्थापना श्रमिकों का अंतिम ध्येय है। इन आदर्शों तथा इस आस्था के लिए हम उन सब कष्टों का स्वागत करेंगे जो हमें न्यायालय द्वारा दिये जायेंगे। क्रांति की इस वेदी पर हम अपना यौवन धूपबत्ती की भांति जलाने के लिए सन्नद्ध हुए हैं। इतने महान् ध्येय के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं माना जा सकता। हम क्रांति के उत्कर्ष की संतोषपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।"

कहीं जनता के धन की लूट तो नहीं जनप्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों के वेतन भत्ते

-: छगनलाल बोहरा :-

चुनाव के दौरान नेता बार-बार जनता के सामने यह घोषणा करता है कि वह जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। जीतकर वह जनता की नि:स्वार्थ सेवा करेगा। उसके वादों पर विश्वास कर जनता उसे वोट देती है, कार्यकर्ता उनक लिए रात-दिन काम करते हैं। सेठ, साहूकार, उद्योगपति, बड़े बिल्डर, भ्रष्ट अफसर, भूमाफिया, बड़े अपराधी, बड़े ठेकेदार, बड़े खान मालिक, बड़ी संस्थाओं के संचालक, बड़े चन्दाजीवी, सभी बढ़-चढ़कर उसे आर्थिक सहायता देते हैं और वह सांसद, विधायक, मंत्री बन जाता है। जिस दिन से वह अपने पद की शपथ लेता है, जनता के वादे को ताक में रखकर एकमात्र अपनी एवं अपने दानदाताओं की सेवा में जुट जाता है। गरीब और गरीबी से उसका नाता टूट जाता है, राजधानी में बहुत बड़ा बंगला, फोन, बिजली, पानी, हवाई यात्रा, वातानुकूलित रेलयात्रा, नौकर-चाकर, पी.ए., सुरक्षाकर्मी, कार सभी कुछ मुफ्त, संसद की कार्यवाही जिसके लिए जनता ने उसे चुना है, उसमें भाग लेने के लिए हजारों रुपयों का भत्ता, मासिक भत्ता, सदन की कैण्टीन में तकरीबन मुफ्त बेहतरीन खाना, समितियों के सदस्य बनने और उसकी बैठकों में भाग लेने का हजारों रुपये का मानदेय, अपने क्षेत्र में घूमने के लिए सरकारी कार, सदन में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत, क्षेत्र में विकास की राशि खर्च करने में कमीशन, नौकरी लगवाने, ट्रांसफर करवाने, ट्रांसफर रुकवाने में, खान दिलाने में, ठेका दिलाने में, स्पेक्ट्रम आवंटन हो या खेलों की सामग्री खरीद, सरकार बनवाने में, सरकार गिराने में या बचाने में हर कार्य में रिश्वत और कमीशनखोरी, जनता के धन की खुली लूट चारों हाथ-पैरों से, यह कैसा लोकतंत्र है और कैसे जनप्रतिनिधि हैं? शाम की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से कर पाने वाले गरीब का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सांसद पर सरकारी खजाने का 56 लाख प्रतिवर्ष आधिकारिक तौर पर लुटा दिया जाना, उस गरीब के वोट और विश्वास के प्रति घोर अपराध है। जनता जो टैक्स विकास के लिए देती है, उस धनकी ऐसी लूट एक आपराधिक षड्यंत्र है, जिसे तुरंत रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है।

भारतीय जनमानस की उदासीनता ने राजनीति को ऐसा धंधा बना दिया है, जिसमें बिना पूंजी लगाये, बिना किसी जवाबदेही, अयोग्य और धूर्त लोगों को अपार धन, सम्मान और अधिकार मिलते हैं। एक बार सांसद बन जाने वाला राजनेता 5 वर्षों में इतना धन, बाहुबल और इतना रसूख पैदा कर लेता है कि अपनी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के बावजूद पुन: टिकट हासिल करता है, किसी पार्टी से टिकट नहीं मिले तो अपनी अलग पार्टी बना जातीय समीकरण, धन और बाहुबल के सहारे पुन: जीत कर पहले से भी कई गुनी लूट मचाता है।

जनता इस सारे गोरखधंधे को जान रही है, देख रही है, समझ रही है। अखबार, टी.वी. इनके कारनामों को दिन-रात उजागर कर रहे हैं। बुद्धिजीवी लेखक-पत्रकार, समाज सुधारक, संत महात्मा इनके कार्यों की भर्त्सना कर रहे हैं, ढीले-ढाले ही सही, कुछ कानून भी इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विद्यमान हैं, परंतु इन राजनेताओं में उसका कोई भय नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। लोकपाल विधेयक का इतने दिनों तक पारित नहीं हो पाना इसका प्रमाण है। कौन किसी के खिलाफ कार्यवाही करें? अपने खिलाफ सख्त कानून या संविधान में सुधार ये सांसद करने देते नहीं और वर्तमान में जो कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वे स्वयं भ्रष्ट हैं, वे दूसरों के खिलाफ कार्यवाही कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने दामन दागदार हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं, उन्हें अपनी सरकार इन्हीं सांसदों के समर्थन से टिकाये रखनी है, चूँकि व्यवस्था कायम करने वाले स्वयं भ्रष्ट हैं, लोभ और स्वार्थ से परिचालित हैं, अत: इस वर्तमान व्यवस्था से किसी प्रकार के सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। फिर समाधान क्या हो सकता है? कैसे इस सारे परिदृश्य को बदला जा सकता है। वस्तुत: व्यवस्था में सार्थक बदलाव ही देश की इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर समग्रता से पुनर्विचार हो।

विचारणीय बिन्दु— भ्रष्टाचार सारी समस्याओं की जड़ है, कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक वे ही लोग चुने जायें जो भ्रष्ट न हों, जिनके भ्रष्ट होने की संभावना न हो, जो बिना धन खर्च किये चुने जा सकें। अपराधिक पृष्ठभूमि वाले, घोटालों, रिश्वतखोरी, आर्थिक अनैतिकता, संदिग्ध चरित्र एवं संदिग्ध राष्ट्र निष्ठा वाले लोग चुनाव हेतु अयोग्य हों। भारतीय राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रमों का एक उच्च मानदण्डों वाला विश्वविद्यालय हो, जिसकी स्नातक डिग्री चुनाव में खड़े होने हेतु अनिवार्य हो। चुने गये प्रतिनिधि गुजारेलायक मानदेय, दो कमरों के फ्लैट और सामान्य श्रेणी की यात्रा सुविधा के अतिरिक्त सरकारी खजाने से अन्य किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखें। जो इस देश के गरीब व्यक्ति के समकक्ष जीवनयापन कर सकें, जैसे गांधी जी, मदनमोहन मालवीय, सरदार पटेल, लालबहादुर शास्त्री, राममनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय आदि नेता करते थे। जो प्रतिवर्ष अपने अपने अपने परिवार की सम्पत्ति का ब्यौरा पूरी ईमानदारी से सार्वजनिक करें, जिनकी जाँच जनता में से चुने गये नि:स्वार्थ, निष्पक्ष लोगों की वे समितियाँ करें, जिनके पास दोषी जनप्रतिनिधियों को हटाने और कड़ी सजा देने का कानूनी अधिकार हो, जो लोकायुक्तों की तरह नखदंत विहीन अधिकारशून्य संस्था न हों। कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किये जायें कि अपराधियों के बच निकलने की संभावनाएँ शून्य हों। सांसदों, मंत्रियों के विशेषाधिकार एवं वीआईपी सुविधाओं की परिपार्टी को समाप्त किया जाये। दोषारोपित होने पर उनकी गिरफ्तारी भी अन्य लोगों की तरह ही हो। सुरक्षा के नाम पर आगे पीछे कई कमाण्डों एवं कारों के काफिले चलना अविलम्ब बंद हों।

राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिमण्डल व उच्चाधिकारियों के पदों को सादगीपूर्ण, कम खर्चीला और आडम्बरमुक्त बनाया जाये। इनका रहन-सहन, प्रोटोकाल आदि राजाओं, वायसराय या रेजिडेण्ट की तरह न होकर इस देश की सामान्य जनता के मुख्य सेवक जैसा बनाया जाना चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी और सर्वोच्च नौकरशाहों के वेतन और सुविधाओं में 1-4 से अधिक का अंतर नही होना चाहिए और इस दूरी को पाटने के लिए वेतन बढ़ाने की नहीं, उच्च पदस्थ नौकरशाही के वेतन और सुविधाओं को कम किये जाने की आवश्यकता है, वस्तुत: राजनेताओं और नौकरशाही के गठजोड़ ने सरकारी नौकरियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन और सुविधाएं बेहिसाब बढ़ा ली हैं और प्रतिवर्ष बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे देश की जनता के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर में भारी अंतर आ गया है। एक तरफ प्रतिमाह बहुत बड़ी रकम और सुविधाएँ हैं और दूसरी तरफ अत्यन्त कम आय और बढ़ती हुई महँगाई है। ये दोनों ही भ्रष्टाचार के मूल कारक है।

बहुत कम परिश्रम के बावजूद सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, लेक्चरर, कर्मचारियों और अन्य सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को अत्यधिक वेतन-सुविधाओं और पेंशन लुटाई जा रही है, जो कि गैरवाजिब और करदाता के धन की खुली लूट है। सांसद, विधायक जब-तब अपने वेतन भत्ते बढ़ाते हैं, तो कर्मचारी भी आये दिन वेतन बढ़ाने की माँग करते रहते हैं। वस्तुत: आजादी के पश्चात् राजनेताओं ने अपनी अयोग्यताओं को छिपाने तथा अपने लिए अधिकाधिक अधिकार, वेतन भत्ते, सुविधाएँ जुटाने के लिए उच्च नौकरशाहों तथा कर्मचारी वर्ग को भी खुश रखने तथा निम्न वर्ग ग्रामीण जनता को बिना परिश्रम किये कुछ न कुछ देते रहने की युक्ति अपना ली है, जिससे जनता में कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बढ़ी है। बिना परिश्रम किये मजदूरी एवं मुफ्त सहायता प्राप्त करने की प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई पड़ती है। आजादी के इतने वर्षों बाद स्थिति यह है कि कर्मचारियों में कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा और श्रमिक वर्ग में श्रम के प्रति निष्ठा चिराग लेकर ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलती।

जनता के धन की इस खुली लूट को रोकने के लिए जनता को ही आगे आना होगा। जनता की सेवा के वादे के साथ राजनीति में आने वाले जनप्रतिनिधियों तथा जनता की सेवा के लिए नौकरी पाने वाले नौकरशाहों को इतने अधिक वेतन, भत्ते सुविधाएँ, राजसी रहन-सहन क्यों? करदाताओं को अधिकार हो कि वह सरकार से पूछे कि उसके टैक्स का पैसा किसे और कितना दिया जा रहा है। किसे कितना वेतन, भत्ते और क्या सुविधाएँ दी जानी चाहिए, यह जनता और करदाता तय करे, न कि विधायकों, सांसदों और अफसरशाही का गठजोड़। जो एक बार सांसद या विधायक रह गया, उसे आजीवन पेंशन, दो बार रहने वाले को दुगुनी, चार बार रहने वाले को चौगुनी पेंशन आजीवन, "जनता धन की लूट है, जितना लूट सके वो लूट।" हाँ ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए अवश्य कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिसने कोई पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, खान आवंटन, जमीन आवंटन या ऐसी ही कोई स्थाई आय का स्रोत अपने जनप्रतिनिधि होने के प्रभाव से न बनाया हो जैसा लालबहादुर शास्त्री ने उदाहरण रखा, मृत्यु के पश्चात् सरकारी बंगला खालीकर कहीं जाने के लिए उनके परिवार के पास कोई मकान नहीं था। आज तो जनप्रतिनिधियों का नैतिक स्तर इस कदर गिर गया है कि पार्षद, पंच, सरपंच, विधायक, सांसद सभी निर्वाचन के तुरंत बाद अपने लिए उपयुक्त सभी वर्ग आवंटन करवाने में जुट जाते हैं, पार्षदों, विधायकों, सांसदों, उच्च नौकरशाहों को प्रदान की जाने वाली प्राथमिकताएँ, वीआईपी सुविधाएँ समाप्त की जानी आवश्यक है।

अकूत दौलत और पद के दुरुपयोग के लिए ही राजनीति में जाने की जो आम मानसिकता नेताओं और जन सामान्य में बैठ गई है, उसे बदलकर नि:स्वार्थ सेवा के लिए राजनीति में जाना, अपना सब कुछ समर्पित कर देशसेवा एवं भारत को पुन: विश्वगुरु, विश्व शक्ति बनाने के लिए राजनीति में जाने का जो श्रेष्ठभाव स्वतंत्रता से पहले और कुछ वर्षों बाद तक हमारे राजनेताओं में था, उसी की पुनर्स्थापना के लिए आदर्श उपस्थित कर सकने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों को आगे लाने और भ्रष्ट लोगों को हटाकर लोकतंत्र को सही स्वरूप में स्थापित और दृढ़संकल्प हो आगे आना होगा, तभी देश में सुशासन स्थापित हो सकेगा।

जिन माताओं का जीवन परिचय औझल रखा गया उनका परिचय

-: खुशहालचन्द्र आर्य :-

अधिकतर माताओं का जीवन परिचय भारत के इतिहास में पूरा स्पष्ट मिलता है, जैसे सीता, सावित्री, मंदोदरी, तारा, शकुन्तला, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, पद्मावती, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई आदि परंतु कुछ माताओं का जीवन परिचय भारत के इतिहासकारों ने औझल रखा यानि प्रकट नहीं किया। उनमें कुछ का वर्णन नीचे लिख रहे हैं।

1. उर्मिला : उर्मिला, लक्ष्मण की धर्मपत्नी थी। लक्ष्मण के वन जाने के बाद उर्मिला को चौदह वर्षों तक अयोध्या में बिना पति के ही रहना पड़ा। सीता तो चौदह साल अपने पति श्रीराम के साथ रही, चाहे उसे जंगल में ही रहना पड़ा हो। बाद में रावण द्वारा हरण किये जाने के बाद भी लंका में उसको कोई तकलीफ नहीं थी। रावण ने उससे कभी भी जबरदस्ती नहीं की और उसकी सेवा के लिए एक दाई रहती थी जो सीता से बड़ा प्यार करती थी और बड़ी सेवा भी करती थी और उसको सब समाचार देती रहती थी। सीता को लंका में केवल एक वर्ष ही रहना पड़ा, उसमें भी सीता को खाने-पीने, सोने-जागने व रहने की कोई तकलीफ नहीं थी। इधर उर्मिला को चौदह वर्ष बिनापति के रहना पड़ा। घर का सब काम करना पड़ा। पति के होते हुए भी, चौदह वर्षों तक उर्मिला को बिना पति के कितना कष्ट उठाना पड़ा औश्र अपने मन को कैसे उसने समझा कर रखा, यह तो उर्मिला ही बता सकती है। उर्मिला यदि चाहती तो वह भी लक्ष्मण के साथ वन में जा सकती थी, परंतु लक्ष्मण ने कहा कि मुझे भाई श्रीराम और माता सीता की सेवा करनी है, यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मैं उनकी सेवा नहीं कर सकूंगा। तब उर्मिला ने अकेले ही अयोध्या में रहना स्वीकार किया। यह उर्मिला के आदर्श व महान् चरित्र को दर्शाता है। जिसका किसी साहित्यकार ने मूल्यांकन नहीं किया। केवल सीता के चरित्र को ही आदर्श बता कर विस्तारपूर्वक वर्णन करते रहे। केवल मैथलीशरण गुप्त ने ही उर्मिला के चरित्र पर कुछ प्रकाश डाला है। बाकी सभी कवियों व लेखकों ने उर्मिला के आदर्श जीवन पर पर्दा ही डाला है।

2. यशोधरा : यशोधरा सिद्धार्थ (महात्मा बुद्ध) की धर्मपत्नी थी। जब महात्मा बुद्ध रात्रि को वैराग्य जगा तो अपनी धर्मपत्नी यशोधरा व अपना पुत्र राहुल को सोते ही छोड़कर चले गये। यशोधरा को पता ही नहीं चला कि उनके पति देव उनको कब छोड़कर चले गये। यशोधरा को अपने पति का वैराग्य स्वभाव का तो पता ही था। वह समझ गई कि वे कोई वैराग्य की कोई बड़ी उपाधि लेने गये हैं। मुझे उनके काम में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए इसलिए वह बच्चे के साथ अपना साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। यह उसका बहुत बड़ा त्याग ही था जिसका भारत के साहितयकारों ने कोई उल्लेख तक नहीं किया। इस महान तपस्वीनि पर भी मैथलीशरण गुप्त की नजर गई। जब महात्मा बुद्ध वैराग्य की सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनको ईश्वर की तरफ से ज्ञान हो चुका था तब वे अपने गाँव आये तब पूरा गाँव उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा, परंतु यशोधरा नहीं गई, तब एक सखी ने मैथलीशरण जी के शब्दों में कहा कि तुम्हारे पति देव गाँव में आये हुए है और पूरा गाँव उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा है। तुम्हें भी जाकर देखना चाहिए। यशोधरा ने अपनी सखी से जो कुछ कहा, वह बड़ी मार्मिक बात है।

सखी वे मुझसे कह कर जाते,

कहकर जाते तो क्या वे मुझे पथ-बाधा ही पाते।
सखी वे मुझे... जब वे आये हैं इतना, तो दो कदम हैं उनके लिए कितना। सखी वे मुझ से कहकर जाते यशोधरा का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मेरे पतिदेव मुझे से कहकर जाते तो मैं उनकी किसी हालत में भी पथ-बाधा नहीं बनती अर्थात् जाने की अनुमति दे देती। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि घर में मेरी कोई गलती नहीं है, उनकी ही गलती है। अब जब वे अपने गाँव आये हैं तो उनको ही मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए। यह यशोधरा के अपने पति के प्रति कोई कठोर शब्द नहीं, प्रेम भरे शब्दों में उसकी महानता प्रदर्शित होती है।

3. राम रखी : यह भाई बालमुकुन्द की धर्मपत्नी थी। जब 23 दिसम्बर 1912 में लार्ड हर्डिंग पर चांदनी चौक में बम्ब फेंका गया तो भाई बाल मुकुन्द अपने साथी मास्टर अमीर चन्द, लाला हनुमंत प्रसाद, श्री बसना कुमार विश्वास व मास्टर अवधबिहारी के साथ लाहौर जेल में बंद थे तब उनकी धर्मपत्नी राम रखी पहली बार अपने पति देव को देखने गई तब भाई बालमुकुन्द आधी मिट्टी मिली हुई बच्ची रोटी खा रहे थे। राम रखी ने पूछा रोटी कैसी है तब भाई बालमुकुन्द ने कहा आधी मिट्टी की मिली हुई कच्ची रोटी है तब राम रखी ने रोटी का एक टुकड़ा ले लिया और घर पर जा कर वैसी ही रोटी आधी मिट्टी की कच्ची खाने लगी। उसने सोचा जब मेरे पति देव ऐसी रोटी खाते हैं तो मुझे अच्छी रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं। जब राम रखी दूसरी बार अपने पति से मिलने गई तो बालमुकुन्द छोटी सी कोठड़ी में जिसमें पैर भी अच्छी तरह नहीं पसार सकते थे मच्छरों के बीच सोचे हुए थे। राम रखी को यह देख कर बड़ा दु:ख हुआ और घर पर आते ही एक अलग से छोटी सी कोठड़ी में उसमें मच्छर बहुत थे, उस कोठड़ी में सोने लगी। जब उसने सुना कि उनके पतिदेव को फाँसी हो गई है, तब उसने भी खाना-पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद स्वर्ग को सिधार गईं। ऐसी थी आदर्श और महान् पतिव्रता राम रखी, जिसका अनन्तर कहीं उदाहरण मिलना मुश्किल है। परंतु हमारे इतिहासकारों ने इसको ओझल रखा है। यह इतिहासकारों के लिए एक शर्म की बात है।

4. शिवा देवी : शिवा देवी, स्वामी श्रद्धानन्द की धर्मपत्नी थीं। स्वामी जी के बचपन का नाम मुंशीराम था। स्वामी जी के पिता का नाम नानकचन्द था और वे एक पुलिस के बड़े अधिकारी थे, इसलिए स्वामी जी का घर एक धनी और सम्पन्न परिवार था। स्वामी जी एक सम्पन्न परिवार की वजह से तथा कुछ गलत मित्रों के मिलने से गलत लाईन में चले गये। स्वामी जी रात को दो बजे शराब में धुत्त होकर घर में आते और आते ही उल्टी करना आरंभ कर देते। उनकी धर्मपत्नी शिवा देवी एक ऐसी सद्गृहिणी थी, वह अपने पति का पहले तो मुख पोछती, बाद में उनके गंदे कपड़े उतारकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर, उनको अच्छी प्रकार भोजन करवाकर, पंखे से हवा दे कर सुला देती थी। एक रात्रि को स्वामी जी ने अपनी धर्मपत्नी से पूछ लिया, कहा हे शिवे! तूने अभी तक रोटी नहीं खाई है, मैं बड़ा पापी हूँ, तू मेरे लिए अभी तक भूखी है। मैं आज से ही यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आगे कभी शराब नहीं पीऊंगा और घर पर समय पर आकर भोजन करूंगा। तभी से स्वामी जी ने सही रास्ता पकड़ लिया और महर्षि स्वामी दयानन्द के सम्पर्क में आकर मुंशीराम से महात्मा मुंशीराम बने और फिर स्वामी श्रद्धानन्द बनकर आर्य समाज और राष्ट्र की गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में खोल कर 1920 में काँग्रेस का अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बनकर उसे सफल बनाकर, हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जामा मस्जिद की मीनार पर वेद का मंत्र पढ़ कर व्याख्यान देकर अंत में शुद्धि कार्य करके बहुत अधिक सेवा करके राष्ट्र को उन्नत बनाया। यह सब काम शिवा देवी की सेवा के द्वारा हुआ। स्वामी जी ने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है कि मेरी उन्नति में पहला स्थान महर्षि दयानन्द का है, दूसरा स्थान मेरी धर्म पत्नी शिवा देवी का है।

कुछ माओं का मैं ने आदर्श जीवन का वर्णन करके सुधि पाठकों का मनोबल बढ़ाया है, कृपया इससे शिक्षा ग्रहण करें।

आर्य समाज आदर्श नगर में 300 जरूरतमंदों को बांटा राशन

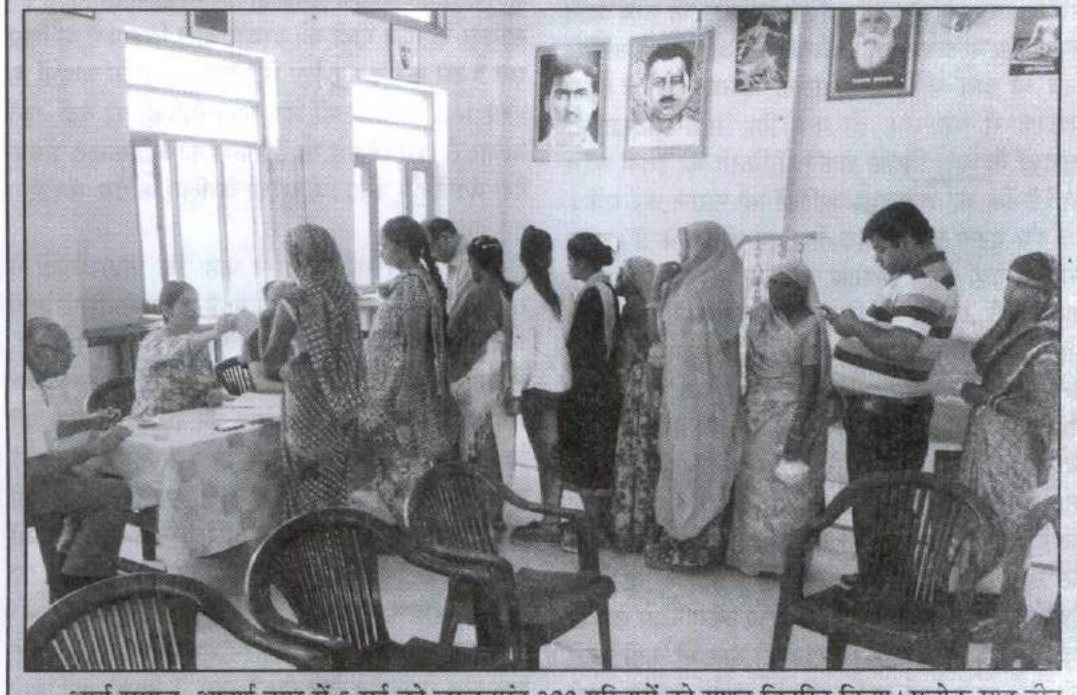

आर्य समाज, आदर्श नगर में 5 मई को जरूरतमंद 300 परिवारों को राशन वितरित किया। प्रत्येक माह तीन सौ जरूरतमंद परिवारों को आर्य समाज प्रांगण में राशन का वितरण किया जाता है जिसकी राशि करीब साढ़े तीन लाख रुपए होती है। राशन लेने आए परिवारों को सुबह नाश्ता भी परोसा जाता है।

बाल विवाह : अब तक क्यों

1985 में मेरा तबादला सचिव, समाज कल्याण व जनजाति विकास के पद पर किया गया। वहां मैंने पाया कि समस्याओं का ढेर लगा हुआ था। चूंकि यह तबादला अप्रैल माह में हुआ था और मई माह में अक्षय तृतीया आने वाली थी, सबसे प्रथम मेरा ध्यान उस दिन होने वाले असंख्य बाल विवाहों की ओर गया। चूंकि समय नहीं था इसलिए मैं तुरन्त कुछ नहीं कर पाया, सिवाय अखबारों में राजस्थान की थू-थू और कई गोद में लिए बच्चे-बच्चियों की शादियों की तस्वीरें देखने के। यह दयनीय हालत बाल विवाह रोकथाम कानून, जो शारदा कानून के रूप में 1929 में बनाया गया था पर जिसकी धज्जियां सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को नाक के नीचे अब रोक के बावजूद भी उड़ाई जा रही थी। सन् 2006 में इसे और मजबूत बनाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। पर समस्या ज्यों की त्यों चलती रही क्योंकि इसके सुलझाने के लिए जो जिम्मेदारियां सरकारों को निभानी थी वे कहीं गुम हो रहीं। कोई इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता था। इसका शक बहुत वीभत्स उदाहरण भंवरी देवी प्रकरण के रूप में सामने आया।

भंवरी देवी राजस्थान में चल रहे महिला विकास कार्यक्रम में एक साथिन के रूप में कार्य कर रही थी। मैंने इस कार्यक्रम में लगी साथिनों को बाल विवाह रोकने के लिए प्रेरित किया और इस महिला ने इसके लिए जी-जान लगा दी। यह साथिन जयपुर जिले के भटेरी गांव की एक दलित कुम्हारिन थी, जो अपने पति के साथ घड़े बनाती थीं। गांव के एक उच्च जाति के परिवार ने अपनी एक वर्षीया बेटी का विवाह रचाने का सबको न्यौता भेजा। पुलिस को इसकी भनक लगी तो उसने छापा मारकर विवाह रूकवा दिया और माँ-बाप और निकट संबंधियों को गिरफ्तार करवा दिया। पर चूंकि भंवरी देवी इसमें आगे बढ़कर कार्य कर रही थी तो सब गांव वालों ने इसका ठीकरा उसके ऊपर फोड़ा। एक दिन उसके पति के सामने ही पांच व्यक्तियों ने उससे बलात्कार किया। पुलिस ने कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया। उनका तर्क था कि एक प्रौढ़ दलित महिला के साथ कोई उच्च जाति का व्यक्ति बलात्कार नहीं करेगा। महिला को उन्होंने झूंठी ठहराया। एक उच्च पदस्थ महिला पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा कि अगर उस महिला से अगर वह पांच मिनट भी पूछताछ करेगी तो उसका झूंठ उगलवा लेगी। भंवरी देवी का साथ न तो सरकार ने दिया और न ही कोर्ट ने। कोर्ट ने भी कहा कि एक महिला, वह भी प्रौढ़ और दलित का कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति बलात्कार नहीं करेगा। इस आदेश की अपील अब भी अब भी उच्च अदालतों में चल रही है। इस प्रकरण से यह स्पष्ट हो गया कि सिवाय दिखावटी आदेशों के बाल विवाह रोकने में किसी को इतनी रूचि नहीं है कि वह ताकतवर जातियों को नाराज कर सके।

इस घटना को लगभग तीस वर्ष बीत चुके हैं। बहुत सी कुरीतियों के साथ-साथ बाल विवाह की घटनाएं भी कम हुई हैं, विशेष कर पिछले एक दशक में। राजस्थान भी इसमें शामिल है। पर आंकड़ों के अनुसार अभी भी पैंतीस प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो रही है। बाल विवाह के समर्थन में अभी भी तर्क दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा गरीबी का है जिसके कारण बड़ी उम्र के लड़के के साथ छोटी उम्र के बच्चों का विवाह भी कर देने की मजबूरी है। एक और तर्क है कि लड़की को अगर अठारहसाल तक शादी करने से रोका जायेगा तो उसकी शादी के लिए आसानी से लड़का नहीं मिलेगा। लड़की की सुरक्षा की बात भी कही जाती है। एक बहुत उच्च अधिकारी का जवाब था कि शादी किसी भी उम्र में हो, अगर गौना अठारह वर्ष से अधिक की उम्र में किया जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह एक चौंकाने वाला कथन था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था।

बाल विवाह को अब तक एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। उसके लिए कानून का, सिर्फ संबंधित विभाग का या स्वयंसेवी संस्थाओं का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां पर स्वयंसेवी संस्थाएं मजबूत हैं और जिन्हें प्रशासन व पुलिस का भरपूर सहयोग हैं, वहां बाल विवाहों में तेजी से कमी आई है और जहां संस्थाएं कमजोर हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और जहां प्रशासन उदासीन है, वहां यह तेजी नहीं देखी गई है।

अब आवश्यक यह है कि बाल विवाह को भी बहुमुखी विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाए। यह भी आवश्यक है कि किसी भी नीति में बच्चों की दो श्रेणियां बनाई जाए- एक वे जो दस वर्ष की उम्र से कम हो और दूसरी जो इससे बड़ी हो क्योंकि दस वर्ष से बड़े बच्चों को विवाह का क्या बुरा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर होगा, इसके बारे में अंदाजा होने लगा है। छोटी उम्र की बच्चियों को माँ-बाप व रिश्तेदार आसानी से फुसला लेते हैं। उनसे कहा जाता है कि यह तो एक खेल है। बहुत से पैसे पाकर, नए-नए सुंदर कपड़े देखकर घोड़ी पर चढ़ने का चाव, बढ़िया खाना, सोने-चांदी के गहने वर के घर से भी प्राप्त और फिर तस्वीरों का एलबम, जिसमें वही हर जगह एक जबर्दस्त आकर्षण होता है। उसके ऊपर माँ-बाप की कठोर शिकायत के बारे में किसी से ना कहना। ऐसे विवाह बहुत चुपचाव तरीके से होते हैं और कई बार घोषित तिथि पर भी नहीं जैसे चोर-सिपाही का खेल। सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं को ऐसे प्रकरणों में ज्यादा सावधान होना पड़ेगा।

दस वर्ष से बड़े बच्चों के विवाह को हमें विकास की समस्या के रूप में देखना होगा। आजकल लगभग सभी लड़के-लड़कियां प्राथमिक शालाओं में अवश्य पढ़ते हैं। जहां उच्च प्राथमिक शालाएं या उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था से वहां भी लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर होती जा रही है। उन क्षेत्रों में हर लड़की चाहती है कि वह अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करे तभी उसके माँ-बाप उसके विवाह की बात करें। सभी नौकरी भी करना और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उससे ना केवल उनका जीवन सुधरेगा वरन उनके माता-पिता का नाम भी रोशन होगा। सभी का यह मानना है कि जल्दी विवाह के बाद न उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलेगा और न ही किसी नौकरी का। उन्हें दिन भर घर के कामकाज में ही व्यस्त रहना होगा। बच्चा होने की स्थिति में तो वे शारीरिक व मानसिक दोनों स्तर पर असहाय हो जाएंगी। साथ ही अगर वे पढ़ती रहेंगी तो उन्हें बाल विवाह की रोकथाम के बारे में बने कानूनों व सरकार व गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयत्नों के बारे में भी समझ में आ जाएगा। इस जानकारी के कारण वे अपने माता-पिता पर भी जोर डाल पाएंगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लड़कियों ने स्वयं के प्रयत्नों से अपनी शादियां रुकवाई हैं।

इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए उन सभी क्षेत्रों में जहां बाल विवाह एक गहन समस्या है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का, विशेषकर बालिका विद्यालयों का एक जाल बिछाना आवश्यक होगा। कुछ दिन विवाह और टल सके और बालिका अपने पैरों पर खड़ी हो सके इसका भी इंतजाम करना होगा। विभिन्न तरह के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने होंगे जिसके उपरांत वे कोई कार्य करके पैसा कमा सके। आजकल कमाऊ पत्नी ग्रामीण क्षेत्रों में भी पसंद की जाती है।

बच्चियों की सुरक्षा भी बाल विवाह का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्कूल व कार्य क्षेत्र में पहुंचने में अधिक समय लगे। अच्छी सड़क, रोशनी व अन्य आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ण करना आवश्यक है। अत: समग्र विकास का ढांचा बनाने के लिए उन क्षेत्रों का, जहां बाल विवाह एक समस्या है, का ध्यान रखना आवश्यक है।

- डॉ. सुधीर वर्मा, आई.ए.एस (से.नि.)

कांग्रेस के सुरजेवाला का आरोप

मोदी ने विज्ञापन पर खर्चे रु. 6000 करोड़

सेना के जवानों के लिए 1600 करोड़ नहीं दिए गए।

जयपुर। कांग्रेस के कम्यूनिकेशन विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा और पीएम मोदी पर छद्म राष्ट्रवाद का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा ने सैनिक हितों के साथ समझौता कर विश्वासघात किया है। सरकार के पास मोदी की तस्वीर वाले विज्ञापनों के लिए छह हजार करोड़ रुपए तो थे, लेकिन सेना के जवानों के लिए 1600 करोड़ नहीं दिए गए। सैनिकों को वर्दी-जूते बाजार से खरीदने पड़े रहे हैं। पाक को आतंकवाद पोषक देश बताते हुए कहा कि सुरक्षा के लिए कांग्रेस समझौता नहीं करेगी।

पत्रकारों से सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। सेना के सिर्फ शौर्य बखान कर फायदा लेने की कोशिश तो भाजपा ने की है, लेकिन सेना के असल मुद्दों पर कुछ नहीं किया। मेजर जनरल बीसी खंडूरी की संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने सेना की जरूरतों को नजरंदाज कर सेना को हथियारों की इमरजेंसी खरीद के लिए सेना को पैसे उपलब्ध नहीं कराए। इसी तरह 2018-19 के बजट में सेना का बजट पिछले 57 सालों में सबसे कम रहा।

शाह रह चुके हैं तड़ीपार- सुरजेवाला ने कहा कि शाह जब से तिहाड़ जेल गए हैं, तब से बेतुकी बातें करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उन्हें तड़ीपार घोषित किया था। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी वह ऐसी बात करते हैं। उनको बेरोजगारी, नोटबंदी से लाखों लोगों की नौकरी जाने सहित अन्य सवालों का जवाब देना चाहिए।

सैन्य ठिकानों पर 17 आतंकी हमले हुए, 500 जवान शहीद हुए- सरकार की ढुलमुल नीतियों के चलते 5 साल में जम्मू-कश्मीर में 500 जवान शहीद हुए और 300 नागरिक मारे गए। सैन्य ठिकानों पर 17 बड़े आतंकी हमले हुए और पैंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा हमला, सुंजवान सेना कैंप हमला और पुलवामा हमले में सैकड़ों सैनिक शहीद हुए। पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार के दौरान बम ब्लास्ट नहीं हुआ। जबकि मोहरा, दंतेवाड़ा, औरंगाबाद, कोरापुट, अवापल्ली समेत कई अन्य जगह विस्फोट हुए। चीन ने उत्तर और दक्षिण डोकलाम में कब्जा किया। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए 1600 करोड़ मंजूर नहीं किए। पुलवामा जैसे हमलों में शहीद होने वाले जवानों को शहीद का दर्जा व परिवार को मदद से मोदी सरकार इनकार क्यों कर रही है। सेना के कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में सामान खरीदने का कोटा तय कर दिया है। आतंकी घटनाओं में विफलताओं की जिम्मेदारी लेने से मोदी पीछे हटते हैं।

कांग्रेस ने किया सेना का समर्थन- सुरजेवाला ने दोहराया कि कांग्रेस सेना के साथ है। बालाकोट के समय भी कांग्रेस ने सेना के शौर्य को सलाम किया था। वहीं पुलवामा हमले के समय बड़ी संख्या में विस्फोट आदि लाने में केन्द्र सरकार की विफलता रही, जिसके बारे में भाजपा जिक्र नहीं करना चाहती है।

जाति-व्यवस्था में भारत का भविष्य

न्यायशास्त्र में गौतम मुनि कहते हैं- (समानप्रसवात्मिका जाति:) अर्थात् जिसका समान प्रसव हो वह एक जाति है। समान प्रसव वह कहलाता है जिनके परस्पर संयोग से वंश चलता है। जैसे स्त्री-पुरुष के संयोग से जो जन्म लेता है वह मनुष्य जाति है। यह एक जाति है। परमात्मा ने मनुष्य की केवल एक जाति बनाई है। स्त्री और पुरुष उसके दो अंग हैं अपवाद स्वरूप किन्नर भी जन्म ले सकता है। परंतु यह सह एक मनुष्य योनि है। गाय और सांड के संसर्ग से जो जीवन जन्म लेता है वह गौवंश कहलाता है। विजातीय जातियों के संसर्ग से कुछ पैदा नहीं हो सकता यह ईश्वरीय विधान है। ईश्वरकृत केवल एक मानव जाति है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ या वर्चस्व स्थापित करने के लिए हजारों जातियों का वर्गीकरण कर दिया। यह प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है। अप्राकृतिक विभाजन से मानव समाज खण्ड-खण्ड होकर खण्डित होता जा रहा है। जातीय आधार पर वैमनस्य और भेदभाव की विष बेल भयंकर रूप धारण कर चुकी है। यह वैदिक सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है।

मनु महाराज ने वर्ण व्यवस्था का विधान गुण-कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रस्तावित किया था। उस समय इस व्यवस्था को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। वरण का अर्थ है ग्रहण करना-चुनना। व्यक्ति जिस योग्य होगा उसी वर्ण में उसकी पद स्थापना होती थी। जन्मना आधार पर वर्ण-व्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण वर्ण के माता-पिता की संतान को भी वहीं अधिकार प्राप्त था कि वह अपनी योग्यता से अन्य वर्ण में पद स्थापित हो सकता था। जब वर्ण व्यवस्था सिद्धांत में जड़ता आ गई उस समय ब्राह्मण माता-पिता की संतान ब्राह्मण और शूद्र माता-पिता की संतान शूद्र कहलाने लगी। इस काल-खण्ड से ही जन्मना जाति व्यवस्था का प्रचलन हो गया और समाज का विखण्डन होने लग गया।

सत्य सनातन धर्म को मानने वाले सभी विद्वान् यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी से मैथुनी सृष्टि आरम्भ हुई। ब्रह्मा जी के 11 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। सब ब्राह्मण थे फिर उनकी सभी संतानें भी ब्राह्मण होनी चाहिए थी। यह अनसुलझा प्रश्न है कि इतनी जातियां इस भारत-भू पर कैसे पैदा हो गई।

महर्षि दयानन्द ने मनु-महाराज द्वारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार्य बताया और जन्मना जाति व्यवस्था का विरोध किया। देव दयानन्द ने 'शिल्प विद्या' को महागंभीर विद्या बताया और कहा कि इसको कोई महापण्डित ही अपने चतुर सुजान हाथों से कर सकता है। यह जानकर अति दुख होता है कि पौराणिक विचारधारा से प्रभावित लोग शिल्प विद्या को निम्न वर्ग बताते हैं और शिल्पकार को शूद्र वर्ण बताते हैं। हमारे देश के पिछड़ेपन का एक मूल कारण यह संकीर्ण सोच है। पाश्चात्य जगत् में शिल्पकार को आविष्कार की संज्ञा प्रदान कर उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता है इसलिए वह देश औद्योगिक क्रांति के जनक हैं। विश्व का वैभव उनकी अमानत बन चुका है।

समय की ज्वलंत समस्या जातिवाद है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे निरन्तर हवा मिल रही है। जातीय संगठनों ने राजनीतिक दल बना कर कई प्रांतों में अपनी स्थाई राज्य व्यवस्था स्थापित कर रखी है। राष्ट्रीय राजनैतिक दल इनके आगे गौण होते जा रहे हैं। जातिगत व्यवस्था के कारण आरक्षण का दावानल सुलग रहा है। देश के किसी न किसी प्रांत में आरक्षण के पक्ष और विपक्ष से आगजनी, लूटपाट, रेल रोको, पेड़ काटो, नहरें तोड़ो आदि उत्पात होते रहते हैं। सर्व समाज में कटुता के बीज अंकुरित हो जाते हैं। सामाजिक समरसता, सहजता व सहनशीलता समाप्त हो जाती है। अराजकता की स्थिति से निपटने में राज्य सरकारें विफल हो जाती हैं। वोट बैंक की राजनीति से राष्ट्र का अहित हो रहा है। वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाकर ही इस आरक्षण रूपी विषधर पर काबू पाया जा सकता है। योग्य व्यक्ति को ही ईमानदारी से उसका अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

देश में केवल एक ही संस्था आर्य समाज है जो व्यक्ति के गुणों के आधार पर उनका वर्ण निर्धारित करती है आर्य समाज की भट्टी में तपकर व्यक्ति जाति-पाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज व देश का कल्याण कर सकता है दलित कहे जाने वाले परिवार में जन्म लेकर व आर्य समाज की भट्टी में तपकर आचार्य सुदर्शन देव पण्डित के पदनाम से विभूषित हुए, इसी प्रकार यादव कुल में जन्म लेकर व आर्य समाज की भट्टी में तपकर सोहनलाल आर्य पंडित के नाम से विख्यात हुए। इतिहास में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं।

अवर्ण-सवर्ण का विवाद तो यहाँ पहले से ही विद्यमान था इन वर्णों में छूआछूत भयंकर रूप से विद्यमान थी। अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने "फूट डालो और राज करो" की नीति के अन्तर्गत जातीय उन्माद को बढ़ावा दिया। लगभग सभी जागरूक जातियों के संगठनों को पंजीकृत कर आपसी विवादों को और बढ़ावा दिया। आपसी जातीय विवादों के मामले न्यायालयों तक पहुंचे और वहाँ भी निर्णय उसी प्रकार हुए जैसे बिल्लियों की लड़ाई में बंदर के हाथ में न्याय का तराजू। इसी विघटनकारी नीति के अनुरूप सन् 1876 ई. में भूमि प्रबन्ध किया गया जिसमें काश्तकार-गैर काश्तकार और मारुसी के रूप में समाज को विभाजित कर दिया। सेना में भर्ती के नाम पर मार्शल और नॉन मार्शल के बीज बो दिए, उनकी टीस अब तक महसूस हो रही है।

इतिहास साक्षी है कि जातिगत बंटवारे से देश को लाभ बहुत कम और हानि अधिक हुई है। देश की मिट्टी के गर्व वीर हेमू ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में विजय पताका लेकर आगे बढ़ता गया। उस समय अफगान सैनिक हतप्रभ रह गए कि राज्य हिन्दू को चला गया और क्षत्री हेमू के पीठ पर पीछे इसलिए नहीं आए कि राज्य धूसर बणिये के पास चला गया। हेमू को अकेला आगे बढ़ता देख मुगलों ने दोबारा हमला कर दिया, वीर हेमू की आंख में तीर लगा और घायल होकर समर भूमि पर गिर पड़ा। अलीकूली खाँ ने साहसी वीर हेमू को पकड़ लिया और बैरम खाँ ने साहसी वीर हेमू का कत्ल कर दिया। हम जीतकर भी हार गए।

वीर शिवाजी ने औरंगजेब जैसे निष्ठुर बादशाह को हराकर हिन्दू राज्य की स्थापना की परंतु वर्ग विशेष ने वीर शिवाजी की ताजपोशी नहीं की क्योंकि हिन्दू धर्म में शूद्र का राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। अतुल्य धन राशि खर्च करवा कर उन्हें 70 पीढ़ी पहले का क्षत्रिय वंश बताकर महाराजाधिराज की उपाधि से नहीं छत्रपति की उपाधि प्रदान कर राज्याभिषेक किया। इसी प्रकार के उदाहरणों से इतिहास सरोबार है। हमें पिछले भूलों से शिक्षा ग्रहण कर भारत के भविष्य को सुनहरा बनाना है तो जातीय व्यवसीा पर पुन: विचार करना होगा।

हे सरकार! यौन उपद्रवियों को तो कोर्ट देगा सजा, पुलिस के जघन्य अपराध का कौन करेगा न्याय?

-: लक्ष्मी प्रसाद पंत :-

अलवर के थानागाजी में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप और फिर वीडियो वायरल करने की घटना से पूरा राजस्थान गुस्से और सदमे में है। यातना, हैवानियत और यौन शोषण की सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेकिन इस यौन उपद्रव का एक खतरनाक चेहरा और भी है। यह पुलिसिया चेहरा है। इस घटना पर पुलिस के होंठों पर नो दिनों तक ताले पड़े रहे। कारण-लोकसभा चुनाव। खाकी को डर था कि अगर मामला खुला तो उसके राजनीतिक आकाओं को चुनाव में नुकसान हो जाएगा। इतने संवेदनशील मुद्दे पर पुलिस की निष्ठा और नैतिकता के इस राजनीतिकरण ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बेचैनी बस यह है कि पुलिस का यह नैतिक पतन आखिर आगे कहां जाकर रुकेगा।

पुलिस के परकोटे में फंसी इस घटना की अब परतें उघाड़ते हैं। मोटरसाइकिल से घर जा रहे पति-पत्नी को 26 अप्रैल को 5 लोग घेर लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, यह सबके सामने है। किन्तु इससे भी ज्यादा विचलित करता है पुलिस का बर्बर बर्ताव। खौफजदा पीड़ित पुलिस के पास पहुंचते हैं मगर खाकी आठ दिन बाद मामला दर्ज करती है। अफसोस यह है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय खाकी, खादी के साथ सौदेबाजी में लग जाती है। जाहिर है ऐसा होने पर पीड़ितों को न्याय का हक तो कहीं पीछू छूट गया, वीडियो वायरल होने से बात मान-सम्मान-स्वाभिमान और जान पर बन गई। पुलिस यह जानती थी कि आरोपियों के मोबाइलों में पीड़ितों का एक वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर बम की तरह कभी भी फट सकता है। बावजूद इसके सोशल बम को डिफ्यूज करने के बजाय पुलिस नेताओं के प्रति अपनी सियासी प्रतिबद्धता निभाती रही। उधर, हर मोबाइल पर 4 मई को यह शर्मनाक घटना जा चुकी थी।

सोशल बम था, 6 मई को चुनाव खत्म होते ही फट गया। उथल-पुथल मची तो पुलिस हरकत में आई। लेकिन इस घटनाक्रम ने खाकी और खादी के बीच की अंदरूनी सांठगांठ को जगजाहिर कर दिया। चुनावी नींद से जागे कांग्रेस-भाजपा सहित सभी दलों को भी पीड़ितों के दुख, घाव और आंसू दिखने लगे। घटनाक्रम तेजी से बदला। तीन आरोपी गिरफ्तार हुए। एसपी एपीओ और थानेदार सस्पेंड कर दिए गए। ऐसा ही होता रहा है। वाह! सरकार तो वाकई एक्शन में है। तंत्र सक्रिय है। उसकी पहचान और परख के यही राजनीतिक मापदंड हैं। ऐसी हर घटना के बाद सियासत का कम्पास ऐसे ही घूमता है।

यह घटना राजस्थान की भयावह तस्वीर पेश करती है। पुलिस की निष्ठा और नैतिकता की जो अस्वाभाविक मौत हुई है, उम्मीद है यह आखिरी ही होगी। हैवानियत की चीखें भी सरकार तक पहुंच गई हैं। बेशक एपीओ और संस्पेंशन की रस्मी कार्रवाई हो चुकी है। यौन उपद्रवियों को तो कोर्ट सजा देगा ही, बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के जघन्यतम अपराध का न्याय कौन करेगा। क्या सरकार न्याय की कोई बड़ी लकीर खींचेगी?

पंजीयन संख्या : RAJHIN(RNI)2000/2567
डाक पं. सं. : Jaipur City/264/2018-20

अलवर गैंगरेप

अबला जीवन, हाय तुम्हारी करुण कहानी आंचल मे है दूध और आँखों में पानी हैवानियत का पूरा सच, खून खौला देती है यह दर्दनाक घटना

जयपुर 9 मई। महर्षि दयानन्द ने 19वीं शताब्दी में नारा दिया था कि राष्ट्र का आधार नारी हो। समाज में सर्वोच्च स्थान नारी का है। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में शतपथ ब्राह्मण का उद्धरण दिया गया- **मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद।** महर्षि दयानन्द ने यहां तक लिखा कि देश में महिलाओं का राष्ट्राध्यक्ष अलग होना चाहिए और महिलाओं के मुकदमों का और उनकी सुनवाई का अधिकार भी महिलाओं को होना चाहिए। आज भारतवर्ष को बलात्कारी देश कहा जाता है। अपराधी की पुलिस से सांठ-गांठ होती है और अपराधी के स्थान पर पीड़ित को परेशान किया जाता है। महर्षि ने लिखा जो दण्ड है वहीं पुरुष राजा, वहीं न्याय का कर्ताधर्ता और सबका शासनकर्ता, वहीं चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है। वहीं प्रजा का शासनकर्ता, सवप्रदा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिए बुद्धिमान लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं। अलवर गैंग रेप में दण्ड की क्या स्थिति है उसका पर्दाफाश हुआ है।

अलवर में पति के सामने पत्नी से गैंगरेप की घटना न सिर्फ उन पांच दरिंदों बल्कि पुलिस के घिनौने चेहरे का भी आईना है। 26 अप्रैल को गैंगरेप हुआ, 30 अप्रैल को एसपी के पास केस दर्ज कराने गए, 2 मई को केस दर्ज किया गया। 4 मई को दरिंदों ने वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस से इसकी भी शिकायत की, लेकिन नहीं सुनी गई। एसपी ने तीन घंटे बैठाया, थानेदार ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव तक चुप रहो, उसके बाद देखेंगे। और वही किया भी। 6 मई की शाम पुलिस हरकत में आई। जानिए पीड़ित की जुबानी...

पहला दिन - 26 अप्रैल पांच लोगों ने बाइक रोकी और ढाई घंटे टॉर्चर किया

मैं तालवृक्ष और नारायणपुर जाने के लिए अपने घर से निकला। पीहर से पत्नी को लिया। थोड़ी देर बाद देखा कि पांच लोग पीछा कर रहे हैं। उन्होंने टीबे के पास अपनी बाइक हमारी बाइक के आगे लगा दी और रोक लिया। इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। हम दोनों को मारते हुए सड़क से निचले हिस्से में टीलों पर ले गए और पूछने लगे कि कौन हो, कहां से आए हो। बताने के बावजूद खूब मारा और करीब ढाई घंटे तक टॉर्चर किया। वीडियो बनाया और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। मेरे पास 6 हजार रुपए थे, उसमें से 2 हजार रुपए छीन लिए। उन पांचों ने हमें जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद मैंने पत्नी को उसके घर छोड़ा और मैं अपने घर आ गया।

दूसरा दिन - 27 अप्रैल

27 अप्रैल को वापस मैं अपने घर जयपुर चला गया।

तीसरा दिन - 28 अप्रैल फोन आया और 10 हजार रुपए की डिमांड की

सुबह छोटेलाल का फोन आया। उसने मिलने के लिए कहा। मना किया तो बोला कि बेटा मिलना तो तुझे पड़ेगा वरना वीडियो वायरल कर देंगे। मैंने उससे कहा कि भाई मिल लेगा, मैंने यह बात अपने चाचा के लड़के को बताई, उसने मेरे भाई को बताया। इस दौरान छोटेलाल को मैंने अपने भाई का नंबर दे दिया। छोटेलाल कभी कराणा बुलाता था तो कभी थानागाजी। लेकिन मिलता नहीं था। 1 बजे दोबारा फोन आया और 10 हजार की डिमांड की। मैंने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ, दस हजार कहां से दूंगा? तो बोला- देने तो पड़ेंगे चाहें मेरे 1 हजार कम कर ले। फिर भाई ने पापा को वीडियो वायरल की बात बताई और पापा ने 29 को जयपुर से घर बुला लिया।

चौथा दिन - 27 अप्रैल

वकील से परिवाद तैयार कराया। इसमें पूरी घटना का जिक्र किया।

पांचवां दिन - 30 अप्रैल एसपी ने 4.30 घंटे इंतजार कराया

हम 30 अप्रैल को एसपी के पास परिवार देने गए। सुबह 11 से 3.30 बजे तक इंतजार किया। उन्होंने परिवाद मार्क किया और एसएचओ को वॉट्सअप कर दिया। मार्किंग वाला परिवाद हमें देकर कहा कि एसएचओ को दे देना। फिर एडिशनल एसपी के पास भेज दिया।

6वां-7वां दिन - 1-2 मई पुलिस ने मेडिकल कराया

पुलिस हमें 1 मई को मेडिकल के लिए ले गई। इसके बाद दो मई को भी बुलाया और कहा कि कोई जांच रह गई है। उन्होंने 2 मई को भी मेडिकल कराया। पुलिस की ओर से हमें एफआई की कॉपी 2 मई को शाम को दी गई।

8वां दिन - 3 मई वीडियो आरोपी जीमण में थे, सूचना दी फिर भी पुलिस ने नहीं पकड़ा

आरोपी जीमण कार्यक्रम में थे। पुलिसकर्मी भी इस समारोह में थे। उन्हें बताया, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया।

नौवां दिन - 4 मई वीडियो वायरल कर दिया, हमारा सबकुछ खत्म हो गया

आरोपियो ने वीडियो वायरल कर दिया। छोटेलाल ने ही ये बात बताई। मैंने थाने में बताया तो एसएचओ से मिलने को कहा गया। कई घंटे बाद एसएचओ सरदार सिंह मिले तो वे बोले- कोई बात नहीं, वीडियो वायरल करने की एक धारा और जोड़ देंगे। फिर बोले कि तेरी एफआईआर तो एसटी एक्ट की है, वह अलवर में हुई है, जांच अधिकार जगमोहन भी वहीं है वहीं ले जाओ। फिर कहा देखो दो दिन तो कुछ नहीं होगा, चुनाव से निपटते ही कार्रवाई करेंगे। 6 मई की शाम को एडिशनल एसपी गांव आकर गए। लेकिन हमारा सब कुछ खत्म हो गया था।

कहां किस की रही लापरवाही
पुलिस अधीक्षक राजीव पचार : रूटीन मार्क किया और भूल गए

30 अप्रैल को पीड़िता व उसके पति ने एसपी का परिवाद दिया। एसपी ने परिवाद पर ही थानागाजी एसएचओ के नाम कार्रवाई के लिए लिखकर पीड़ित पक्ष को दे दिया। इसके बाद परिवाद पर क्या कार्रवाई की? इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की। परिवाद पेश करने के दौरान एसपी कार्यालय में ही आरोपियों का धमकी भरा कॉल आया। इसकी जानकारी तुरंत एसपी को दी इसके बाद भी तुरंत कार्रवाई करने के बजाय टाल गए।

थाना प्रभारी सरदार सिंह : जीमण कार्यक्रम में आमने सामने हुए पर गिरफ्तार नहीं किया

30 अप्रैल को परिवाद थाना प्रभारी को मिल गया। दो दिन इसे थाने में पटक कर रखा। 2 मई को एफआईआर दर्ज की गई। इसी बीच एक गांव में जीमण कार्यक्रम में आरोपियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। 4 मई को वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित पक्ष एफआईआर लेकर थाने गया तो यह कहकर भेज दिया कि एफआईआर में एक और धारा जुड़ जाएगी।

जांच अधिकारी जगमोहन शर्मा

थाने में 2 मई को गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज हो गई। मुकदमे की जांच डीएसपी ग्रामीण के पास आई गई। डीएसपी ने भी इतने गंभीर मामले को सहज लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास नहीं किए।

॥ ओ३म् ॥
आर्य नीति

सत्यव्रत सामवेदी,सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक 5च-13, जवाहर नगर, जयपुर के लिये हरिहर प्रिन्टर्स, आदर्श नगर, जयपुर से मुद्रित।

सम्पादक मण्डल
घनश्यामधर त्रिपाठी
फोन नं. : 0141-2621859 का. : 2624951
M :9829052697, e-mail: Vishwamaryam@gmail.com
9929804883 Vishwamaryam@rediffmail.com
आर्य समाज, विद्या समिति एवं शिक्षा समिति, आदर्श नगर, जयपुर के सौजन्य से प्रकाशित
-:: डाक वापसी का पता ::-
आर्य नीति, आर्य समाज, आदर्श नगर, जयपुर-4, राज.

प्रेषक : सत्यव्रत सामवेदी, सम्पादक, आर्य नीति
आर्य समाज, राजापार्क, जयपुर - 4
राजस्थान

पंजियन संख्या
RAJHIN(RNI)/2000/2567
डाक पंजीयन संख्या
Jaipur City/264/2018-20

प्रेषित
30 दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा
आर्य समाज मंदिर, 15, हनुमान रोड,
नई दिल्ली-110001